

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला -अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र /2021

राजेन्द्र सिंह पुत्र काना गूजर निवासी कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज)

—अप्रार्थी

अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:- श्री राजेन्द्र सिंह- प्रार्थी स्वयं

तहसीलदार केकड़ी-पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 4.3.21

प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार केकड़ी द्वारा की गयी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/6303 दिनांक 31.12.2020 से इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। जाँच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल कणोज के द्वारा जाँच रिपोर्ट की गई जो संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम कणोज की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 688 किता 08 रकबा 5.78 है0 तथा खाता संख्या 689 किता 03 रकबा 0.18 है0 में खातेदार कजोड़,जवान,भुवान पिता काना,सायरी पुत्री काना हीरा पत्नि काना कौम गूजर साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाते में मेरा नाम जवान पुत्र काना दर्ज है जिसे मुताबिक दस्तावेज यथा पेन कार्ड,आधार कार्ड,झाईविंग लाईसैस आदि संलग्न किये है जिसमें राजेन्द्र सिंह पुत्र कानाराम दर्ज है। इस हेतु प्रार्थी ने शपथ पत्र व ग्राम पंचायत कणोज द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है। तहसीलदार केकड़ी ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार जवान के स्थान पर राजेन्द्र सिंह पुत्र कानाराम किये जाने की अनुशंसा की है।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजता का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जवान दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात यथा पेनकार्ड,आधारकार्ड,झाईविंग लाईसैस में राजेन्द्र सिंह है प्रार्थी जवान के स्थान पर सम्मानजनक नाम राजेन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी के वाकै ग्राम कणोज की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 688 किता 08 रकबा 5.78 है0,तथा खाता संख्या 689 किता 3 रकबा 0.18 है0 ग्राम कणोज की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 688 किता 08 रकबा 5.78 है0 तथा खाता संख्या 689 किता 03 रकबा 0.18 है0 में खातेदार कजोड़,जवान उर्फ राजेन्द्र सिंह ,भुवान पिता काना,सायरी पुत्री काना हीरा पत्नि काना कौम गूजर साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। बाकी इन्द्राज यथावत रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
(राजेन्द्र सिंह पुरोहित)
केकड़ी जिला अजमेर
केकड़ी